प्रेस विज्ञप्ति

27.06.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), देहरादून ने एनएच-74 घोटाला मामले में डोईवाला शुगर मिल में कार्यकारी निदेशक के पद पर कार्यरत वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी दिनेश प्रताप सिंह के मामले में 26.06.2025 को उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के 07 स्थानों पर तलाशी ली। तलाशी कार्रवाई के परिणामस्वरूप 24.70 लाख रुपये की नकदी के साथ-साथ अन्य अपराध-संकेती दस्तावेज जब्त किए गए।

उत्तराखंड के तत्कालीन एसएलएओ दिनेश प्रताप सिंह उर्फ डी.पी. सिंह ने भूमि अधिग्रहण के सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) के रूप में कार्य करते हुए राजस्व अधिकारी/कर्मचारियों, भूमि चकबंदी अधिकारी/कर्मचारियों, किसानों/भूमि मालिकों, बिचौलियों और अन्य के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश जेडए और एलआर अधिनियम, 1950 की धारा 143 के तहत पिछली तारीख के आदेश पारित करके भूमि के उपयोग में हेराफेरी करके सरकारी धन का दुरुपयोग करने की साजिश रची। इसके परिणामस्वरूप भूमि मालिकों को कानूनी और अपेक्षित मुआवजे के विपरीत, गैर कृषि दरों पर उच्च मुआवजे का भुगतान किया गया। अपने गुप्त उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उन्होंने राजस्व रिकॉर्ड/दस्तावेजों में पिछली तारीख की प्रविष्टियां करके जालसाजी/छलरचना का सहारा लिया, जिन्हें एनएच-74 और एनएच-125 के चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए भूमि मालिकों को मुआवजा वितरित करते समय वास्तविक के रूप में पेश किया गया था।

इस मामले में ईडी ने पहले ही **03** पीएओ जारी करके विभिन्न आरोपी व्यक्तियों से **43** करोड़ रुपये **(**लगभग**)** की चल और अचल संपत्तियां जब्त कर ली थीं**,** जिनकी विधिवत पुष्टि माननीय न्यायाधिकरण**,** पीएमएलए द्वारा की गई है।

इन अधिकारियों और भूमि मालिकों के खिलाफ जांच जारी है**,** जबकि **07** अभियोजन शिकायतें पहले ही माननीय विशेष न्यायालय **(**पीएमएलए**),** देहरादून के समक्ष दायर की जा चुकी हैं।

आगे की जांच जारी है।